



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2023-24/ 4402
निमित्त:-

दिनांक:- 14/08/2023

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Construction of Road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas - Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, tehsil- Viratnagar, District- jaipur (Raj.).
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021)
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 6475 दिनांक 26.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के क्रम में उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ने उनके पत्रांक 8181 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्रेषित किया है, जो अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुर प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	कमियां	जवाब
1	As per reply of the point no. 1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approvals.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय विराटनगर के पत्र क्रमांक SP-1 दिनांक 26.07.2023 (संलग्न) के अनुरार उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हे० में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदनुसार वचनबद्धता संलग्न है। सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर.नं. 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा.नि. वि. द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को बैंक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है। प्रकरण में पूर्व में वन भूमि प्रत्यावर्तन की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है।

संलग्न:- उक्तानुसार (3 सैट)।

भवदीय

(मनफूल सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

जयपुर

दिनांक:- 14/8/2023

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2023-24/ 4403

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

Digitally signed by Manphool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.08.14 11:53:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4503317